47

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक सी–3–9/2016/1–3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के समेकित परीक्षा पद्धति के संबंध में ।

मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) नियम 2013 के तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को अधिकृत किया गया है । विभिन्न विभागों/ मंडलों/निगमों इत्यादि से समकक्ष पदों हेतु पृथक–पृथक समय पर भर्ती हेतु आवेदन/इंडेंट प्राप्त होते हैं । इंडेंट अलग–अलग समय पर प्राप्त होने से बोर्ड को समान श्रेणी/अर्हता/कार्य के पदों हेतु पृथकशःपरीक्षा करवाने की आवश्यक्ता पड़ती है । विभिन्न पदों (जिनकी भर्ती परीक्षा पी0ई0बी0 व्दारा प्रस्तावित है) का श्रेणीकरण किया जाकर 6 समूह निर्धारित किए गए हैं किन्तु इन समूहों में विभिन्न विभागों का एकत्रीकरण है और देखा गया है कि एक विभाग व्दारा विलंब से की जाने वाली कार्यवाही यथा नियम पुस्तिका का निर्माण इत्यादि का प्रभाव संपूर्ण कार्यवाही अर्थात अन्य विभागों की भर्ती प्रकिया पर भी होता है । इसके अतिरिक्त भर्ती परीक्षा हो चुकने के उपरांत यदि किसी विभाग/निकाय व्दारा इंडेंट प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित विभाग को या तो आगामी परीक्षा संपादित होने तक प्रतीक्षा करनी होती है अथवा बोर्ड को पृथक से परीक्षा का आयोजन कराना होता है ।

2– उपरोक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यशासन व्दारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1– मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) नियम 2013 के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्दारा ऐसे समस्त समूहों/उप समूहों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा । यह परीक्षा वर्ष में न्यूनतम एक–एक बार प्रत्येक समूह/उप समूह कि लिए होगी ।

2–परीक्षाओं का प्रस्तावित वार्षिक कैलेंडर, नवीन कैलेंडर वर्ष प्रारंभ होने के लगभग तीन माह पूर्व जारी किया जाऐगा ताकि विभिन्न विभागाध्यक्ष, यथासंभव अधिकतम इंडेंट दे सके ।

––2––

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2006

क्रमांक एफ 3/71/2006/10-1, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में निम्नानुसार संशोधन करते है ।

अनुसूची-3 के क्रमांक (4) (1) वनरक्षक/वनसेवक/गेमगार्ड के शैक्षणिक एवं तकनीकि अर्हता के कॉलम नं.-5 की चौथी लाईन में पद्धति से परीक्षा उत्तीर्ण को विलोपित कर उसके स्थान पर : पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण" स्थापित किया जाता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सी. एच. मुरलीकृष्ण)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

विषय.— कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियमित स्थापना में नियुक्ति होने पर अर्हतादायी सेवा का निर्धारण।

मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के नियम 6 (2) में यह प्रावधान है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारी का यदि नियमित स्थापना में संविलियन होता है तो 1-1-59 से आगे की गई सेवा पेंशन प्रयोजन के लिए अर्हतादायी सेवा मानी जायगी।

2. राज्य शासन ने विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा के किसी भी कर्मचारी का जिसने कम से कम 6 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया हो, यदि बिना किसी व्यवधान के किसी नियमित पेंशन योग्य पद पर संविलियन किया जाता है तो ऐसे कर्मचारी द्वारा कार्यभारित/आकस्मिकता सेवा में की गई सेवा पेंशन प्रयोजन हेतु अर्हतादायी सेवा मानी जावेगी।

3. मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के नियम 6 में संशोधन संलग्न है।

[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक बी- 25/17/95/PWC/चार दिनांक 30 जनवरी, 1996]